

17/7/16 पक्षकारान उप./अनु/वकील प्रार्थी/अप्रार्थी उप./अनु./ पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। फलतः पत्रावली को समझाईश की गई, परन्तु राजीनामा नहीं हुआ। अतः पत्रावली संबंधित न्यायालय में वापस लौटाई जाकर दिनांक 21/7/16 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
मसूदा (अजमेर)

21/7/16

वक्तु फरी उपास्थित। समय चारहे ही न्याय हित में एक अवसर दिनांक 17/7/16 को पत्रावली वास्ते बरस 75 हेतु दिनांक 21/7/16 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
मसूदा (अजमेर)

22/9/16

स्थानीय बार द्वारा आज कार्य स्थगित रखा गया है। पत्रावली वास्ते बरस 75 हेतु दिनांक 17-11-16 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
मसूदा (अजमेर)

12/11/16

स्थानीय बार द्वारा आज कार्य स्थगित रखा है। पत्रावली वास्ते बरस 75 हेतु दिनांक 19/11/16 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
मसूदा (अजमेर)

19/1/17

वक्तु फरी उपास्थित। समय चारहे ही एक अवसर दिनांक 19/1/17 को पत्रावली वास्ते बरस 75 हेतु दिनांक 24/3/17 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
मसूदा (अजमेर)

24/3/17

वक्तुला. ए. फरी. उपास्थित। वकील वादी ने निवेदन किया कि वाद पत्र पर वादी द्वारा उन्हे हिरागत पेशकी नहीं है। एसी ही रिप्लाय वकील वादी ने आदेशिका पर की है। वादी के नाम से इफलास वक्तुला. ए. फरी. उपास्थित अजवाइर गई लेकिन वादी की साई से कोई हाजिर नहीं आया है। वाद पत्र अदालत पेशकी अदालत हाजिरी में स्वीकृत किया जाता है। अदालत फैसल सुनार होकर नम्बर के कम हो।

उपखण्ड अधिकारी

Sir  
Not Proceed  
गुजरात  
24.3.17

